न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 594/2018

प्रार्थीः—

1. भूराराम पुत्र श्री रूपाजी जाति सिरवी उम्र 57 वर्ष निवासी बडेरवास तहसील, पाली जिला पाली।

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. लादूराम पुत्र श्री भैराराम जाति माली निवासी बडेरवास तहसील पाली जिला पाली।
2. मुकेश पुत्र श्री भैराराम जाति माली निवासी बडेरवास तहसील, पाली जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री नन्द किशोर बंसल,पवन सिंघल विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

<u>प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

—:निर्णयः— दिनांक 16-01-2020

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव बडेरवास पटवार एवं राजस्व क्षेत्र खैरवा तहसील, पाली जिला पाली की सरहद में खसरा नम्बर 1773 रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 तथा केसाराम पुत्र श्री स्व. छोगाराम जी सहखातेदार हैं। जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार की हैसियत से दर्ज हैं। पूर्ववृति खातेदार जिनसें जिनसें प्रार्थी ने भूमि खरीद की थी एवं अप्रार्थीगण तथा केसाराम द्वारा अपनी सुविधा से मौके पर भूमि का बंटवारा कर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा नेमाराम से खरीद की गई 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का स्वतंत्र रूप से कब्जा का काश्त बिना किसी हस्तक्षेप के चला आ रहा हैं। इसी प्रकार केसाराम का अपने हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र रूप से कब्जा काश्त चल आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अचलाराम से खरीद की गई भूमि प्रार्थी द्वारा नेमाराम से खरीद की गई भूमि एवं अप्रार्थी केसाराम की भूमि के बीच में स्थित हैं। इसमें आगे के हिस्से पर अप्रार्थी क्रंमाक 2 का कब्जा काश्त रहा हैं, बीच में अप्रार्थीगण क्रमांक 1 का कब्जा काश्त हैं, जहांपर उसकी मेंहदी की फसल हैं एवं उसके पश्चात् अचलाराम का कब्जा काश्त हैं। इस भूमि पर प्रवेश के लिए बडेरवास से शिवपुरा गांव जाने वाले रास्ते के समानान्तर केसाराम की खातेदारी कब्जासुदा भूमि के पास में रास्ता छोड़ा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा इस वर्ष भूमि को हासल पर काश्त करने हेतु मंगलाराम पुत्र श्री हीराराम जाति कुम्हार को देना तय आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा इस वर्ष भूमि को हासल पर काश्त करने हेतु मंगलाराम पुत्र श्री हीराराम जाति कुम्हार को देना तय किया। मंगलाराम ने जून 2018 के अंत में भूमि की खड़ाई कर मुंग की फसल बोई किंतु अप्रार्थी क्रंमाक 1 ने लादूराम ने प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

हिस्से की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर प्रार्थी द्वारा बुवाई गई मुंग की फसल को दिनांक 3/7/2018 को ट्रैकटर घुमाकर नष्ट कर दी। प्रार्थी पूना रहता हैं उसे इसकी सूचना मिलने पर वह दिनांक 18/7/2018 को गांव आया एवं मौके पर गया उसने अप्रार्थी क्रमांक 1 को औलम्बा दिया किंतु अप्रार्थी क्रमांक 1 लादूराम ने उस अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया, पूर्व में किसाराम के पास मुकेश के हिस्से की भूमि से जो रास्ता कायम था, उसके आगे लकड़ी का गेट लगाकर बंद कर दिया एवं वादी के प्रवेश का रास्ता बंद कर दिया। अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त की भूमि अवैध अतिक्रमण करने एवं प्रार्थी को काश्त से वचिंत करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की इस नाजायज हरकत एवं दखल अंदाजी का विरोध किया। उसने समस्त अप्रार्थीगण से भूमि का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र पूर्वक काश्त करने हेतु निवेदन किया, किन्तु अप्रार्थीगण क्रमाक 1 व 2 इस हेतु तत्पर नहीं हुए। वे प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि में प्रवेश करने में भूमि पर कब्जा काश्त करने में अवैध तरीके से दखलअंदाजी कर हे हैं। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण क्रमांक 1 द्वारा वादी को नाजायज तरीके से अपनी भूमि में प्रवेश करने से रोकने एवं उसकी भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने एवं उसकी फसल नष्ट कर देने के कारण प्रार्थी ने दिनांक 18/7/2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, पाली एवं पुलिस चौकी खैरवा में रिपोर्ट की। प्रार्थी के हक हिस्से में, कब्जा काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 द्वारा नाजायज तरीके से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रार्थी का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर सहखातेदार के रूप में हक हिस्सा अधिकार हैं। प्रार्थी के खरीदने से पूर्व से सहखातेदार अपनी सुवधिा अनुसार भूमि का बंटवारा तय हुआ था। किन्तु विधि अनुसार भूमि का मिट्स एवं बाउन्डस से बंटवारा नही होने के कारण मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न किया जा रहा हैं, मौके पर शांति भंग होने की संभावना बनी हुई हैं। प्रार्थी द्वारा प्रयास करने के बावजुद अप्रार्थीगण आपसी सहमति से बंटवारा हेतु तत्पर नहीं हैं, इस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ बंटवाड़ा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को भूमि के सहखातेदार की हैसियत से अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कब्जा कायम रखते एवं काश्त करने का विधिक अधिकार हैं, किन्तु अप्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 द्वारा उसकी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके हिस्से की भूमि पर प्रवेश करने के रास्ते को बंद कर दिया गया है, एवं उसके काश्त में दखल अन्दाजी कर काश्त करने से रोका जा रहा हैं। अप्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 को वादी को उसके हिस्से की भूमि पर प्रवेश करने से रोकने एवं काश्त करने से रोकने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 द्वारा किया जा रहा कृत्य गलत एवं गैर कानूनी हैं। अप्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 द्वारा वादी क कब्जा काश्त एवं हस्तक्षेप करने से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने से वंचित हो रहा हैं। वर्षा का मौसम हैं, मौके पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में भूमि की खड़ाई कर मुंग की बोई गई थीं। जिसे अप्रार्थीगण क्रमांक 1 द्वारा नष्ट

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कर दी गई है। अब पुनः मौसम में भी काश्त नहीं करने देने से वह इस वर्ष अपनी फसल लेने से वंचित हो जायेंगा। उसके द्वारा भूमि पर किया गया निवेश व्यर्थ हो जायेंगा। इस प्रकार उसे अपूरणीय क्षति होगी। जिसका न तो मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकेगा। न ही क्षतिपूर्ति ही। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द करे कि वे प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी को प्रवेश करने एवं काश्त करने में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करे, न ही उसकी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण करे। अन्य कोई सहायता जो प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध उचित समझे पारित करावें।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- दिनांक 11.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 नोटिस तामील होने के बावजुद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4- अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1773 रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा ग्राम वडेरावास मे स्थित है। उक्त भुमि पूर्व खातेदार भैराराम व छोगाराम पुत्र मुकनाजी की स्वअर्जित कब्जा काश्त शुदा भुमि थी एवं काश्तकार छोगाराम की मृत्यु पश्चात उनके वारीश का कब्जा काश्त है एवं पूर्व खातेदार भैराराम की मृत्यु दिनांक 10/10/2000 को होने से एवं स्वअर्जित भुमि की वसीयत दिनांक 14/06/2000 के मुताबिक वादग्रस्त भुमि पर भैराराम के उत्तराधिकारी लादुराम, नेमाराम, व मुकेश का कब्जा काश्त है एवं अचलाराम का मौके पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है एवं उसका नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने वर्णित तथ्य गलत दर्शाये है कि अचलाराम को कोई कब्जा रहा हो। खसरा नम्बर 1773 रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा भुमि मे अचलाराम पुत्र श्री भैराराम का मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, साथ ही प्रार्थी शहर पुना मे रहता है एवं प्रार्थी का मौके पर वादग्रस्त भुमि पर न तो कब्जा है और न ही कभी कब्जा रहा है। प्रार्थी का नेमाराम या अचलाराम ने कभी भी भुमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया क्योकि मौके पर पूर्व मे कोई बंटवारा नही हुआ था एवं बिना बंटवारे के कोई भी भुमि बेचाण यदि किया है तो वह शुन्य है। कब्ज के अभाव मे किया गया नामान्तरण भी शुन्य है वादी के कब्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया है एवं कब्जे के अभाव में बंटवारे का वाद खारिज करने योग्य है। पूर्व खातेदार भेराराम पुत्र मुकनाराम की मृत्यु दिनांक 10/10/2000 को हो चुकी है एवं पूर्व खातेदार भेराराम ने अपनी स्वअर्जित काश्तकारी भुमि जरिये वसीयत दिनांक 14/06/2000 को मृत्यु से पूर्व अंतिम वसीयत प्रतिवादी संख्या 01 लादुराम व नेमाराम व मुकेश पुत्र भैराराम के पक्ष मे तस्दीक की थी जिससे अचलाराम पुत्र भैराराम को उक्त भुमि मे कोई हक अधिकार

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

नही मिला है एवं अचलाराम को शुन्य दस्तावेज नामान्तरण के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 की भुमि को बेचने का कोई कानुनी अधिकारी नही है। अचलाराम ने बाले बाले पटवारी हल्का से मिलकर ग्राम पंचायत से झुठा फोतेदगी नामान्तरण भरवा दिया जो शून्य है। उसके आधार पर कुटरचित बेचाणनामा प्रार्थी के पक्ष मे यदि करवाया है तो वह शुन्य है। प्रार्थी उक्त दस्तावेज से उक्त भुमि मे कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। जिससे भी वाद खारिज ए काबिल है। वादी ने मौके पर कोई फसल नही बोयी और न ही वादी का मौके पर कब्जा कश्त है। प्रार्थी ने मनगंढत तथ्य दर्ज कर कब्जा काश्त बताने की कोशिश की है। वादी ने गैरकानुनी तरीके से कई बार कब्जा प्राप्त करने की कोशि की परन्तु पुलिस ने उसे रोक दिया क्योंकि वादी के दस्तावेजात गलत, कुट रचित व शुन्य है एवं अचलाराम द्वारा भुमि वादी को बेचने का कोई अधिकार नही था। वादी का मौके पर कब्जा काश्त नही होने से स्वीकार है। वादी साक्ष्य ने आज दिन तक वादग्रस्त भुमि पर बाबत काश्त प्रवेश नही किया है न ही कब्जा है। इसलिए उसे कोई क्षति नही होती है एवं प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष मे नही होने से वादी स्थाई व्यादेश का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी ने मौके पर प्रतिवादीगणं से कभी भी बंटवाड़े की बात नही की एवं न ही मौके पर कोई फसल बोयी एवं न ही प्रतिवादी ने कोई फसल नष्ट की प्रतिवादी लादुराम का लगातार सन 2000 से कब्जा काश्त है एवं अचलाराम पुत्र श्री भैराराम को कोई कब्जा काश्त नही है। भुमि भैराराम की स्वअर्जित होने से एवं भैराराम द्वारा लादुराम वगैरा के हक मे वसीयत तस्दीक करने से एवं अचालराम को जरिये वसीयत भुमि से वंचित किये जाने से वादी उक्त वादग्रस्त भुमि मे कोई हक अधिकार नही रखता है। वाद हेतुक पैदा नही हुआ एवं वाद विधि वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5- बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई।

6- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गांव बडेरवास पटवार एवं राजस्व क्षेत्र खैरवा तहसील, पाली जिला पाली की सरहद में खसरा नम्बर 1773 रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 तथा केसाराम पुत्र श्री स्व. छोगाराम जी सहखातेदार हैं। जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार की हैसियत से दर्ज हैं। पूर्ववृति खातेदार जिनसें जिनसें प्रार्थी ने भूमि खरीद की थी एवं अप्रार्थीगण तथा केसाराम द्वारा अपनी सुविधा से मौके पर भूमि का बंटवारा कर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा नेमाराम से खरीद की गई 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का स्वतंत्र रूप से कब्जा का काश्त बिना किसी हस्तक्षेप के चला आ रहा हैं। इसी प्रकार केसाराम का अपने हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र रूप से कब्जा काश्त चल आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अचलाराम से खरीद की गई भूमि प्रार्थी द्वारा नेमाराम से खरीद की गई भूमि एवं अप्रार्थी केसाराम की भूमि के बीच में स्थित हैं। इसमें आगे के हिस्से पर अप्रार्थी क्रंमाक 2 का

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त रहा हैं, बीच में अप्रार्थीगण क्रमांक 1 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा इस वर्ष भूमि को हासल पर काश्त करने हेतु मंगलाराम पुत्र श्री हीराराम जाति कुम्हार को देना तय किया। मंगलाराम ने जून 2018 के अंत में भूमि की खड़ाई कर मुंग की फसल बोई किंतु अप्रार्थी क्रंमाक 1 ने लादूराम ने प्रार्थी के हिस्से की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश कर प्रार्थी द्वारा बुवाई गई मुंग की फसल को दिनांक 3/7/2018 को ट्रैकटर घुमाकर नष्ट कर दी। प्रार्थी पूना रहता हैं उसे इसकी सूचना मिलने पर वह दिनांक 18/7/2018 को गांव आया एवं मौके पर गया उसने अप्रार्थी क्रमांक 1 को औलम्बा दिया किंतु अप्रार्थी क्रमांक 1 लादूराम ने उस अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया, पूर्व में किसाराम के पास मुकेश के हिस्से की भूमि से जो रास्ता कायम था, उसके आगे लकड़ी का गेट लगाकर बंद कर दिया एवं वादी के प्रवेश का रास्ता बंद कर दिया। मेरी खुद की जमीन है और प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द करे कि वे प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी को प्रवेश करने एवं काश्त करने में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करे, न ही उसकी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण करे।

7- पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस प्रार्थी पर मनन करने के बाद पाया कि बडेरवास पटवार एवं राजस्व क्षेत्र खैरवा तहसील, पाली जिला पाली की सरहद में खसरा नम्बर 1773 रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 तथा केसाराम पुत्र श्री स्व. छोगाराम जी सहखातेदार हैं।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनिय म, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम बडेरवास कृषि भुमि खसरा नम्बर 1773 रकबा 57 बीघा 17 बिस्वा मे प्रार्थी के उपयोग–उपभोग मे कब्जा काश्त मे, अप्रार्थीगण दखलंदाजी नही करे एवं अन्य से भी नही करावे एवं किसी भी रूप में बेचाण हस्तांतरित, भारयुक्त नही करे एवं मौके एवं रेकर्ड की यथास्थीती बनाये रखे। उक्त भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे बेचाण हस्तांतरित नही करे एवं दखल दस्तंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी एजेन्ट या नौकर चाकर या रिश्तेदार से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 16-01-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 15:32:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: